परिशिष्ट-"अ"

[8/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1729]

[1][76. **जिला पंचायत राज निधि** -- (1) जिला स्तर पर ''जिला पंचायत राज निधि'' के नाम से एक पृथक् निधि (जो इसमें इसके पश्चात् ''उक्त निधि'' के नाम से निर्दिष्ट है) गठित की जाएगी और उसे ऐसी रीति में, जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, चलाया जाएगा ।

[2][(2) धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन विकास कर और उसके साथ ऐसे अन्य कर, शुल्क, पथकर, फीस तथा अन्य प्राप्तियाँ जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं के आगम, उसमें से ऐसे वसूली प्रभारों की, जैसे कि समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किए जाएं, कटौती करने के पश्चात् उक्त निधि में जमा किए जाएंगे ।]

(3) धारा 75 के अधीन अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आगम प्रथमतः राज्य की संचित निधि में, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, जमा किये जाएंगे और राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर, यदि विधानसभा द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किये गये विनियोग द्वारा ऐसा उपबंध किया जाए, राज्य की संचित निधि में से ऐसी रकम निकाल सकेगी जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाहे गये आगमों के बराबर होगी ।

टिप्पणी

नियम -- जिला पंचायत राज निधि नियम, 1998 का अवलोकन करें ।

76-क. **रकम का पंचायतों के बीच संवितरण :** [3][(1) एवं (2) ***]

(3) किसी जनपद पंचायत क्षेत्र से धारा 77 की उपधारा (3) के अधीन उगाहा गया विकास कर संबंधित जनपद पंचायत और उस जनपद पंचायत के भीतर की ग्राम पंचायतो को, ऐसे अनुपात में तथा ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अंतरित किया जाएगा ।

(4) अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से संबंधित रकम [4][जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत] को सहायता अनुदान के रूप में, ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जैसे कि इस निमित्त बनाए जाएं, दी जाएगी ।

(5) निधि में जमा की गई धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए अन्य करों, शुल्कों, पथकरों, फीस तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित रकम पंचायतों के बीच, ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए संवितरित की जाएगी ।]

टिप्पणी

पूर्व अधिनियम के उपबंधों से तुलना -- इस धारा के समानार्थी पूर्ववर्ती उपबंध पूर्व अधिनियम की धारा 74 में किये हुए थे ।

77. **अन्य कर** -- (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और अपवादों के जो विहित किये जाएं, अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कर अधिरोपित करेगी ।

(2) जनपद पंचायत के पूर्व अनुमोदन से ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के पूर्व अनुमोदन से जनपद पंचायत, अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट करों में से कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी ।

(3) जनपद पंचायत कृषि भूमि पर विकास कर उद्गृहीत कर सकेगी । इस प्रकार उद्गृहीत कर उसी रीति में देय होगा जिस रीति में भू-राजस्व देय होता है ।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1997 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 1-10-1998 से प्रभावशील) ।
2. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2001 द्वारा प्रतिस्थापित (दिनांक 10-10-2001 से प्रभावशील) ।
3. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2001 द्वारा उपधारा (1) एवं (2) विलुप्त (दिनांक 10-10-2001 से प्रभावशील) ।
4. म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अधिनियम, 2012 (क्र. 26 सन् 2012) की धारा 7 द्वारा (दिनांक 23-5-2012 से) शब्दों ''जनपद पंचायतों'' के स्थान पर प्रतिस्थापित । म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 23-5-2012 पृष्ठ 499-500(1) पर प्रकाशित ।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश

टिप्पणी

(1) पूर्व अधिनियम के उपबंधों से तुलना ।
(2) कर का अधिरोपण ।
(3) कर का स्वरूप और विस्तार ।
(4) कर की सीमा और वसूली की रीति ।
(5) नियम ।

(1) पूर्व अधिनियम के उपबंधों से तुलना -- इस धारा के समानार्थी पूर्व उपबंध पूर्व अधिनियम की धारा 75 में दिये गए थे धाराक्रम में परिवर्तन के सिवाय इन उपबंधों में कोई नवीनता नहीं है ।

(2) कर का अधिरोपण -- इस धारा के अधीन अनुसूची 1 में वर्णित समस्त कर अनिवार्य रूप से अधिरोपित किये जा सकते हैं उन्हें अधिरोपित करने की रीति, शर्त और अपवादों को विहित करने के लिए अधीनस्थ विधायन द्वारा राज्य सरकार की धारा 78 के अधीन शक्ति प्रत्यायोजित की गई है । ग्राम पंचायत मोटर यान पर प्रवेश कर नहीं लगा सकती [**एस.एन. सुदर्शन एण्ड कं. बनाम ग्राम पंचायत पोनिया,** 1998 (1) एम.पी.डब्ल्यू.एन. 155] ।

(3) कर का स्वरूप और विस्तार -- विधि के प्राधिकार के अधीन अधिरोपित किया गया कर संवैधानिक होता है [**नगर पालिका बोर्ड हरिद्वार बनाम रघुवीरसिंह,** ए.आई.आर. 1966 सु.को. 1502] । विधि जब कोई कर अधिरोपित करती है तो उसका उद्देश्य जनकल्याण के कार्यों के लिए निधि प्राप्त करना होता है और किसी भी कर का अधिरोपण प्राधिकारी के अधीन होने पर जनहित में होता है [**अच्छेलाल बनाम जनपद सभा, सीहोर,** 1963 जे.एल.जे. 59 = 1963 एम.पी.एल.जे. 92 (पू.पी.)] । इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर भी जनहित में है [**धनीराम बनाम जनपद सभा, जाँजगीर,** 1965 जे.एल.जे. 346] । इस धारा के अधीन अतिरिक्त लगाया गया भूमि पर अन्य कोई उपकर संवैधानिक होगा [**सूरजदीन बनाम म.प्र. राज्य,** 1960 जे.एल.जे. 93 = 1960 रा.नि. 39] ।

(4) कर की सीमा और वसूली की रीति -- जहाँ कोई विधि किसी कर को उद्गृहीत करने या अधिरोपित करने की शक्ति प्रदान करती है तो वह उसमें प्रदत्त सीमा तक ही अधिरोपित किया जा सकता है । इस धारा में कर की सीमा भू-राजस्व से प्रत्येक रुपये या पचास नये पैसे से अधिक की रकम पर पचास नये पैसे नियत की गई है । इसी प्रकार की वसूली के लिए सशक्त करने वाले उपबन्ध द्वारा निर्धारित शर्तों और रीति का पालन किया जाना भी अनिवार्य होता है [**लक्की भारत गैरेज बनाम प्रा.परि.प्रा. रायपुर,** 1965 एम.पी.एल.जे. 473 = 1965 जे.एल.जे. 589] ।

(5) नियम -- इस धारा के अन्तर्गत राज्य शासन ने निम्नलिखित नियम बनाए हैं :-

(1) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत अनिवार्य कर तथा फीस (शर्त तथा अपवाद) नियम, 1996 ।
(2) मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 1996 ।
(3) मध्यप्रदेश जनपद पंचायत रंगमंच कर (अधिरोपण, निर्धारण तथा संग्रहण का विनियमन) नियम, 1996 ।

[1][**77-क. कर अधिरोपित करने की शक्ति** -- (1) इस अधिनियम के उपबंधों तथा ऐसी शर्तों और अपवादों के जो कि विहित किए जाएं अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक ग्राम सभा अनुसूची 1-क में विनिर्दिष्ट करों को अधिरोपित करेगी ।

(2) ग्राम सभा, अनुसूची 2-क में विनिर्दिष्ट कोई भी कर अधिरोपित कर सकेगी ।]

टिप्पणी

नियम -- देखें- (1) म.प्र. ग्राम सभा वैकल्पिक कर तथा फीस (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 ।
(2) म.प्र. ग्राम सभा अनिवार्य कर (शर्तें तथा अपवाद) नियम, 2001 ।

78. करों का विनियमन करने की राज्य सरकार की शक्ति -- राज्य सरकार, धारा 77 के अधीन करों के अधिरोपण, निर्धारण, संग्रहण तथा हिस्सा बांटने का विनियमन करने के लिये नियम बना सकेगी ।

1. म.प्र. अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2001 द्वारा अन्त:स्थापित (दिनांक 26-1-2001 से प्रभावशील) ।

उप संचालक
पंचायत राज, मध्यप्रदेश